न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

प्रकरण सख्या : 67/2019

घनश्याम पुत्र बिरधा जाति मीणा निवासी रीझिंया तहसील मांगरोल

.......वादी

♠ बनाम ♠

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल जिला बारां (राज0)

....प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 आर0टी0एक्ट0

पीठासीन अधिकारी : श्री शत्रुघ्न सिंह गुर्जर (आरएएस)

वकील वादी : श्री हरिओम प्रजापति

दायरा दिनांकः 30.8.2019

निर्णय दिनांक : 9.11.2021

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 140 खसरा नं0 101 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 322 रकबा 2.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.63 है0 वाके ग्राम रीझियां तहसील मांगरोल में स्थित है। जिसमें वादी का नाम घनश्याम पुत्र बिरधा के स्थान पर वल्लम पुत्र बिरधा दर्ज हो रहा है। जबकि वादी का वास्तविक नाम घनश्याम पुत्र बिरधा है। जिसको वादी वल्लम पुत्र बिरधा के स्थान पर घनश्याम पुत्र बिरधा दुरूस्त करवाने का कानूनी अधिकारी है। वादी का नाम अन्य दस्तावेजों मतदाता पहचान–पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में घनश्याम पुत्र बिरधीलाल दर्ज हो रहा है। इसलिए अपना नाम राजस्व रेकार्ड में वल्लम पुत्र बिरधा के स्थान पर घनश्याम पुत्र बिरधा दर्ज करवाने की घोषणा करवाने का अधिकारी है। अतः उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकार्ड में वादी का नाम वल्लम पुत्र बिरधा के स्थान घनश्याम पुत्र बिरधा दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी को राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जावें।

उक्त आशय का वाद प्रस्तुत होने पर प्रकरण दिनांक 30.8.2019 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर पत्रावली का अवलोकन किया। तहसीलदार मांगरोल को जांच रिपोर्ट हेतु लिखा गया। तहसीलदार मांगरोल से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांकः–राजस्व/2021/594 दिनांक 29.07.2021 के जिसके अनुसार वल्लभ पुत्र बिरधा जाति मीणा को घनश्याम पुत्र बिरधा जाति मीणा के नाम से भी जाना पहचाना जाता है। उपस्थित व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि उक्त दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है अन्य अलग–अलग नही है। दोनो नाम से उक्त व्यक्ति वल्लम पुत्र बिरधा जाति मीणा व घनश्याम पुत्र बिरधा जाति मीणा एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकार्ड में उक्त का नाम वल्लम पुत्र बिरधा के स्थान पर घनश्याम पुत्र बिरधा सा0 देह दर्ज किया जाना उचित है।

उप खण्ड अधिकारी
मांगरोल जिला बारां (राज०)

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली के अवलोकन, तहसीलदार मांगरोल (लैण्ड होल्डर) जो राज्य सरकार का पैरोकार है की रिपोर्ट एवं संलग्न दस्तावेजो तथा बयान गवाहान वादी स्वयं, सत्यनारायण पुत्र नाथूलाल जाति धाकड़ निवासी रिझिंया एवं राधेश्याम पुत्र बिरधा जाति मिणा निवासी रिझिंया के आधार पर आराजी खाता संख्या 140 खसरा नं0 101 रकबा 0.53 है0, खसरा नं0 322 रकबा 2.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 2.63 है0 वाके ग्राम रीझियां तहसील मांगरोल की राजस्व जमाबंदी में दर्ज वादी का नाम वल्लभ पुत्र बिरधा के स्थान पर वल्लभ उर्फ घनश्याम पुत्र बिरधा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है, एवं इसके साथ–साथ यदि वादी के पुराने नाम को लेकर किसी प्रकार के कोई आपराधिक या अन्य विवाद न्यायालय जैरकार हो उसके लिए वादी स्वयं जिम्मेवार होंगा। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.11.2021 को प्रशासन गावों के संग अभियान–2021 कोर्ट केम्प जारेला मजमेंआम में सुनाया गया।

(शत्रुघ्न सिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
मांगरोल

Scanned by CamScanner